संख्या–671/बीस–4/2013–1(331)/2003

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 17 मई, 2013

विषय– सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज की भूमि औद्योगिक विकास विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 747/VIII–1/2013/303–उद्योग/2005, दिनांक 08–04–2013 एवं जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर के पत्र संख्या–381/सात–एस0भू0अ0/2013, दिनांक 08–02–2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर की 107.295 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विकास विभाग को निम्न शर्तों के अधीन हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. जिस परियोजना के लिये प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, वह राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो।
2. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न परियोजना के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. जेल शिविर को जाने वाली सड़क को पर्याप्त चौड़ा रखा जायेगा, जिसका धारणाधिकार राज्य सरकार के पास बना रहेगा एवं यह मार्ग स्थापित हो रहे केन्द्रीय कारागार शिविर वासियों, कार्मिकों के लिये स्थायी रूप से उपलब्ध रहेगा।
5. यदि हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि में कारागार विभाग के बैरक/आवासीय/अनावासीय भवन स्थित हैं, तो ऐसी दशा में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जेल मैनुअल के प्राविधानों तथा इस निमित्त प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप शिविरवासियों (बन्दीगण) के ब्लाकों तथा वहां पर प्रस्तावित कारागार कार्मिकों हेतु आवास केन्द्रीय कारागार/शिविर, सितारगंज में निर्मित किये जायेंगे, तभी हस्तान्तरित भूमि पर स्थित भवनों को रिक्त किया जायेगा। तब तक इन परिसरों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नहीं की जायेगी। इस पर आने वाला समस्त व्ययभार औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

6. भविष्य में इन हस्तान्तरित भूखण्डों पर स्थित वृक्षों से जो भी आय औद्योगिक विकास विभाग को होगी वह समस्त धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी।
7. केन्द्रीय कारागार/सम्पूर्णानन्द शिविर सितारगंज के अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने तथा उनके सुदृढ़ीकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
8. औद्योगिक विकास विभाग को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र०सं०	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा(हेक्टेयर)
1.	लालरपट्टी	01	1	1.900
			2	2.163
			12	0.562
			20	1.550
			21	1.354
		03	16	9.093
		योग		16.622
2.	सीराबाराताना	1	38/2	39.000
3.	लालरखास	1	9	0.417
			10	2.961
			11	35.568
			12	2.090
			16/1	6.798
			18	7.519
			26	0.702
			28	2.343
			29	7.519
			30	0.133
			31	0.682
			32	0.174
			33	1.315
			34	0.256
			35	8.420
		योग		77.065
4.	लालरखास	03	2	24.053
			5	24.161
			8	3.603
			73	2.498
		योग		54.315
5.	लालरखास	04	6	0.095
			7	0.240
			15	4.284
			17/2	1.113
		योग		5.732
6.	लालरखास	05	16/2	0.291
			17/1	1.201

		योग		1.402
7.	लालरखास	08	3 24मि0	1.205 0.500
		योग		1.705
8.	लालरखास	09	14	0.010
9.	लालरखास	10	13 27.	0.032 0.008
		योग		0.040
10.	लालरखास	11	23मि0 25मि0	0.150 0.300
		योग		0.450
कुल लालरखास की भूमि का योग				141.073
सभी ग्रामों की भूमि का कुल योग				107.295

9. कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही आयुक्त कुमायूँ मण्डल के मार्गदर्शन में जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर एवं वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, उधमसिंहनगर द्वारा सम्पन्न की जायेगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 671(1)/बीस–4/2013–1(231)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड ,देहरादून।
2– स्टाफ अफसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5– वरिष्ठ अधीक्षक, सम्पूर्णानन्द शिविर, सितारगंज, उधमसिंहनगर।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
अनु सचिव।